रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24032020-218891
CG-DL-W-24032020-218891

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2020, शनिवार/ फाल्गुन 25, 1941—चैत्र 1, 1942

No. 5] NEW DELHI, MARCH 15— MARCH 21, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1941—CHAITRA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का. नि. आ. 7.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल चिकित्सा स्टोर डिपो स्टोर अधिकारी (सिविलियन) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा स्टोर डिपो, स्टोर अधिकारी (सिविलियन) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सामान डिपो, स्टोर अधिकारी (सिविलियन) समूह 'ख' राजपत्रित "भर्ती नियम, 2014" (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।";

3. **उक्त नियमों की, अनुसूची में :**

(क) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-7 (44900 - 142400 रु.)"

(ख) स्तंभ 11 में "वेतन बैंड 2, 9300 – 34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर जहां भी वे आते हैं "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400 - 112400 रु)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ग) उपशीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन स्तंभ (ii) के नीचे दिए गए टिप्पण-2 और टिप्पण-3 का लोप किया जा सकता है ।

[सं. 33069/एस ओ (सिवि)/आरआर/डीजीएएफएमएस/डीजी-2बी/05/आरआर/डी(नि॰)/2020]

ए. एन. वेंकटाचला, अवर सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. सं 02, तारीख 18 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th March, 2020

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Armed Forces Medical Stores Depot, Store Officer (Civilian) Group 'B' Gazetted, Recruitment Rules, 2014, namely: -

1. **Short title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Armed Forces Medical Stores Depot, Store Officer (Civilian) Group 'B' Gazetted, Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Medical Stores Depot, Store Officer (Civilian) Group 'B' Gazetted "Recruitment Rules 2014" (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classifications and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule, -

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 7 (Rs. 44900 -142400)"

(b) in column (11), for the words, letters and figures “Pay Band-2, Rs. 9300 - 34800 and Grade Pay of Rs.4200”, wherever they occur, the words, letters, figures and brackets “Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted.

(c) Note-2 and Note-3 below column (ii) under sub-heading ‘Promotion’ may be omitted.

[No. 33069/SO(Civ)/RR/DGAFMS/DG-2B/05/RR/D(Appts)/2020]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Foot Note. - The principal rules were published vide notification number S.R.O. No. 02, dated the 18th December, 2014 in the Gazette of India, Part-II, Section-4.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का. नि. आ. 8.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (वाणी उपचारक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय (वाणी उपचारक) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय (वाणी उपचारक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

“2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं”।

(ख) उक्त नियम की अनुसूची में :-

(i) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 - 112400 रु.)”

(ii) स्तंभ 11 में “वेतन बैंड-1, (5200 - 20200 रु) + ग्रेड वेतन 2800 रु. ” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 – 92300 रु)”, शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।

[सं. 12017/ वाणी उपचारक/भ नि/डीजीएएफएमएस/डीजी-2बी/04/आरआर/डी(नियुक्तियां)/2020]

ए. एन. वेंकटाचला, अवर सचिव

पाद टिप्पण :- रक्षा मंत्रालय (वाणी उपचारक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. सं 56, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 12th March, 2020

S.R.O. 8 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend Ministry of Defence (Speech Therapist) Group 'B' Recruitment Rules, 2012, namely: -

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence (Speech Therapist) Group 'B' Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence (Speech Therapist) Group 'B' Recruitment Rules, 2012,

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -

"2. Number of post, classification and level in pay matrix. -The number of the said post, its classifications and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules."

(b) in the said rules, in the Schedule,–

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix
(4)
Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 -112400)" ;

(ii) Under column (11), for the words, letters and figures "Pay Band-1, (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs.2800", the words, figures, letters, and brackets "Level 5 (Rs. 29200- 92300) in the pay matrix" shall be substituted.

[No. 12017/Speech Therapist/RR/DGAFMS/DG-2B/04/RR/D(Appts)/2020]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Foot Note: The Ministry of Defence (Speech Therapist) Group 'B' Recruitment Rules, 2012 were published vide notification number S.R.O. No. 56, dated the 20th June, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.24 19:34:40 +05'30'